५/10 पत्रावली कॉलम कोर्ट में पेश हुई। दोनों पक्षों को सु: मैत्रता बाद स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो ऑफी की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली मैत्रता शुमार होकर तकसीर से काम हो तथा बाद तकमील संजात बाद हो।

Scanned by CamScanner